न्यायालय : अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–1, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : प्रमोद कुमार शर्मा (डी0जे0 केडर)

आप0 विविध संख्या : 58 / 2026

सी0आई0एस0 नंबर : 131 / 2026

महेन्द्र कुमार पुत्र जानकीलाल उम्र 53 साल निवासी कोटडी थाना अंता जिला बारां (राज.) –प्रार्थी / अभियुक्त–

:: बनाम ::

राज0 सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, बारां (राज0)

–अप्रार्थी / विपक्षी–

प्रार्थना पत्र अंतर्गत **धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**
एफ0आई0आर0 नं0 72 / 2025, पुलिस थाना केलवाड़ा
अन्तर्गत धारा 307, 112(2) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थितः–

1– श्री जितेन्द्र नागर, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से।
2– विद्वान अपर लोक अभियोजक–राज्य की ओर से।

––:: आदेश ::–– दिनांक :– 09.03.2026

1– प्रार्थी / अभियुक्त महेन्द्र कुमार की ओर से **धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के अन्तर्गत यह जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना केलवाड़ा की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 72 / 2025 के सन्दर्भ में, उसका जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहबाद द्वारा दिनांक 27.01.2026 को खारिज किये जाने के उपरान्त माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां में प्रस्तुत किया गया, जहां से यह जमानत आवेदन विधिवत् सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अंतरित होकर प्राप्त हुआ है। जमानत आवेदन की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई।

2– प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बहस में तर्क किये हैं कि प्रार्थी / अभियुक्त का अपराध से कोई संबंध नहीं है, जिससे कोई बरामदगी शेष नहीं है। एक अन्य अभियुक्त जगरिया का जमानत आवेदन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्वीार किया जा चुका है। अतः प्रार्थी / अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

3– विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से बहस में उक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क किया हे कि प्रार्थी / अभियुक्त को गंभीर अपराध के आरोप हेतु

गिरफ्तार किया गया है। सहअभियुक्त का प्रकरण प्रार्थी/अभियुक्त के प्रकरण से भिन्न है तथा प्रार्थी/अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अतः जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड अग्रलिखित होना बताया गया है :–

क्र.सं.	**मुकदमा नंबर मय थाना**	**अपराध धारा**	**सी0एस0 नंबर**	**प्रकरण की वर्तमान स्थिति**
1	315/2024 थाना अटरू	303(2) बी.एन.एस.	304/30.12.24	–
2	267/2024 थाना अंता	13 आर.पी.जी.ओ.	149/11.06.24	न्याया.जे.एम. अंता द्वारा दि.21.12.24 को दोषसिद्ध कर 100/–रू.जुर्माना
3	71/2021 थाना अंता	379 आई.पी.सी.	132/14.06.21	–
4	361/2019 थाना बांदीकुई जिला दौसा	380 आई.पी.सी.	35/10.02.20	–
5	425/2018 थाना अंता	13 आर.पी.जी.ओ.	300/18.11.18	न्याया.जे.एम. अंता द्वारा दि. 11.12.18 को दोषसिद्ध कर 100/–रू.जुर्माना
6	311/2017 थाना अंता	19/54 आब.अधि.	267/16.09.17	न्याया.जे.एम. अंता द्वारा दि.23.04.25 को दोषसिद्ध कर 2000/–रू.जुर्माना व 1 साल तक सदाचार के लिए पाबंद
7	439/2016 थाना अंता	147,148,149,341,323 भा.दं.सं.	343/30.11.16	न्याया. जे.एम. अंता द्वारा दि. 23.11.22 को 341,323,149 में राजीनामा से दोषमुक्त व 147, 148 भा.दं.सं. में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त
8	405/2014 थाना अंता	379 भा.दं.सं.	270/17.09.14	न्याया.जे.एम. अंता द्वारा दि. 26.07.18 को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त
9	272/2012 थाना अंता	4/25 आर्म्स एक्ट	175/26.07.12	न्याया.जे.एम. अंता द्वारा दिनांक 13.05.13 को दोषसिद्ध
10	129/2011 थाना अंता	363,366 भा.दं.सं.	108/08.07.11	न्याया.ए.डी.जे.क्रम 2 बारां द्वारा दिनांक 16.09.19 को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त

11	314/2007 थाना अंता	4/25 आर्म्स एक्ट	253/12.12.07	न्याया.जे.एम. अंता द्वारा दिनांक 16.12.07 को दोषसिद्ध
12	260/2006 थाना अंता	143,323,452,429 भा. दं.सं.	39/30.03.07	न्याया.जे.एम. अंता द्वारा दिनांक 11.03.16 को दोषमुक्त
13	109/2005 थाना अंता	323,324,34 भा.दं.सं.	86/20.04.05	—

4— उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पुलिस थाना केलवाड़ा की ओर से प्रस्तुत अनुसंधान पंजिका मय तथ्यात्मक रिपोर्ट का अध्ययन व अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह प्रकट हुआ है कि परिवादी दारासिंह द्वारा दिनांक 28.03.2025 को पुलिस थाना केलवाड़ा में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करावाई गई है कि वह ग्राम गदरेटा का रहने वाला है। वह रोजाना की तरह उसके निवास स्थान से घुमने के लिए एन.एच. 27 पर जाता है। एन.एच. 27 पर उसकी दुकानें तथा उसकी बोरिंग मशीन भी उसकी दुकान पर ही खड़ी रहती हैं। वह रोजाना की तरह आज समय सुबह के 05.00 बजे करीब जैसे ही एन.एच. 27 पर पहुंचा तो कुछ व्यक्ति उसकी बोरिंग मशीन के पास खड़े होकर अपने साथ लाये इण्डिका गाडी से पाईप डालकर जरकीन में डीजल चोरी कर रहे थे। उसने उनसे कहा कि क्या कर रहे हो तो उनमें से एक ने अपने पास की लकडी से उसके ऊपर प्रहार किया तो उसने उसका डण्डा पकड लिया तथा डण्डे को छुडाकर उसको मारने लगा तो उसके अन्य साथी दौडकर आये तथा उसके उपर अपने साथ लाये लकडी गण्डासी से मारपीट करने लगे। वह वहां से हटने लगा तो वे व्यक्ति उसके साथ मारपीट करने लगे जिनमें से एक ने उसके सिर पर मारी जिससे उसके सिर पर से खून निकल आया तथा उनमें से एक व्यक्ति ने गाडी स्टार्ट करके उसके उपर चढाने का प्रयास किया तो उसने वहां से स्वयं को हटाकर अपनी जान बचाई। अगर वह वहां से नहीं हटता तो ये व्यक्ति उसे जान से मार देते। उसके बाद उक्त व्यक्ति गाडी में डीजल की जरकीनों को रख कर शाहाबाद की तरफ निकल गये। उसके बाद वह दर्द से चिल्लाया तो उसकी दुकान पर रहने वाले कर्मचारी दौडकर आये जो उसे समरानिया सरकारी अस्पताल लेकर गए फिर उसके कर्मचारियों ने उक्त घटना की जानकारी उसके भाई सुरेन्द सिंह को दी जो सरकारी अस्पताल आया तथा जिसने उक्त घटना की जानकारी समरानिया पुलिस चौकी पर दी। समरानिया सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार लेकर वह थाने पर गया। उक्त व्यक्ति उसकी बोरिंग मशीन में से लगभग 150 लीटर डीजल चोरी करके ले गये हैं, उनको वह नहीं जानता तथा वह गाडी नंबर अंधेरा होने के कारण नहीं

देख पाया। व्यक्तियों को देखकर पहचान सकता है...इत्यादि।

5— उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा प्रकरण अपराध अन्तर्गत धारा 307 बी.एन.एस. में पंजीबद्ध किया जाकर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध धारा 307 एवं 112 (2) बी.एन.एस. में बनना पाया गया है। अनुसंधान पंजिका पर परिवादी से अभियुक्त की करवाई गई शिनाख्तगी कार्यवाही से संबंधित फर्द उपलब्ध है जिसके अनुसार परिवादी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त महेन्द्र की शिनाख्त सही तरीके से करते हुये उसे घटना में संलिप्त होना बताया गया है जबकि अन्य अभियुक्त की पहचान परिवादी द्वारा नहीं किया जाना बताया गया है। इस प्रकार यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से न्यायालय के समक्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सहअभियुक्त जगरिया का स्वीकृत कोई जमानत आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है तथापि उनके तर्क के अनुसार यदि ऐसा कोई जमानत आवेदन स्वीकार भी किया गया है तो भी सहअभियुक्त जगरिया का प्रकरण प्रार्थी/अभियुक्त के प्रकरण से समान होना दर्शित नहीं होता है। अतः इस संबंध में प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से किया गया उक्त तर्क उचित नहीं है। अप्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में भी कई गंभीर प्रकृति के आपराधिक मामले लंबित होना बताये गये हैं जिसके बाद प्रार्थी/अभियुक्त को पुनः अपराध में संलिप्त होना बताया गया है। अतः प्रकरण के समग्र तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता एवं प्रार्थी के आपराधिक रिकॉर्ड आदि को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत आवेदन पत्र यह न्यायालय स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाता है।

6— अतः प्रार्थी/अभियुक्त **महेन्द्र कुमार** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम—1, बारां (राज0)

7— आदेश आज दिनांक **09.03.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया ।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम—1, बारां (राज0)

RAFIK ALI
Steno Gr. I
"Authenticate Document"
Digitally signed by RAFIK ALI